भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 488
बुधवार, 7 फरवरी, 2024 (18 माघ,1945 (शक)) को उत्तरार्थ

निर्यात पर प्रतिबंध के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान

488 **श्री अनिल देसाई:**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का एक मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और निर्यात हेतु प्रोत्साहन देना है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के शीर्ष प्याज़-उत्पादक क्षेत्र लासलगांव नासिक (महाराष्ट्र) में प्याज़-उत्पादक किसान बड़े वित्तीय संकट में हैं क्योंकि प्याज की भरपूर फसल घरेलू बाज़ार में नहीं बिकी और सरकार ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ग) किसानों को उपरोक्त कार्रवाई के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम (MSCS), 2002 के अधीन राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की स्थापना की है । राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) किसानों के लाभ के लिए मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, जिसमें भारत को तुलनात्मक बढ़त प्राप्त है, के निर्यात के संवर्धन हेतु एक संपूर्ण परितंत्र प्रदान करेगा । निर्यात के लिए इच्छुक प्राथमिक स्तर से लेकर शीर्षस्थ स्तर की सहकारी समितियां इसके सदस्य बनने के पात्र हैं ।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) निर्यात कार्य करने व उसे बढ़ावा देने के लिए एक अंब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगी और सहकारिता क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यात को गति प्रदान करेगी। इससे वैश्विक बाज़ार में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता के विस्तार में मदद

मिलेगी। यह समिति सहकारी समितियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की निर्यात संबंधी योजनाओं और नीतियों का 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' के माध्यम से लक्षित तरीके से लाभ उठाने में भी मदद करेगी । सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से जहां सदस्यों को उनकी वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात पर बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और वही समिति द्वारा उत्पन्न अधिशेष से लाभांश का वितरण भी होगा जिससे "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड किसानों के हितों की रक्षा एवं निर्यात के प्रोत्साहन के लिए अपने उपनियमों के खंड 54 में दिये गए निम्नांकित योजना के अनुसार अपने शुद्ध अधिशेष का 50% तक सदस्यों से उनके उत्पादकों की अंतिम कीमत के रूप में वितरित करेगी:

i. उत्पादों की प्रारंभिक कीमत उत्पाद(उत्पादों) के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर अस्थायी रूप से सदस्य(सदस्यों) को दी जा सकती है;
ii. ऐसे उत्पाद की बिक्री पर सोसायटी द्वारा किए गए सभी खर्चों में कटौती के बाद शुद्ध अधिशेष को बिक्री मूल्य और प्रारंभिक मूल्य के बीच अंतर के रूप में गिना जाएगा;
iii. सोसायटी अपने सदस्यों को उनके उत्पादों के लिए शुद्ध अधिशेष का 50% तक देने का प्रयास करेगी जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकता है; और
iv. सदस्यों को देय उत्पादों की अंतिम कीमत बोर्ड द्वारा प्रारंभिक कीमत और पूर्ववर्ती उप-खंड (iii) के तहत भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित शुद्ध अधिशेष के हिस्से के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(ख) से (ग): उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने सूचित किया है कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 08.12.2023 से प्याज के निर्यात को 'निषिद्ध' श्रेणी में रखा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात प्रतिबंध से किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, सरकार ने 2023-24 में प्याज की खरीद का लक्ष्य 2022-23 में 2.50 लाख टन से बढ़ाकर 7.00 लाख टन कर दिया। किसानों से प्याज की खरीद पिछले तीन दिनों के दौरान मॉडल और अधिकतम कीमतों के भारित औसत के आधार पर गणना की गई गतिशील दर पर की जाती है, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। अब तक, मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) द्वारा कुल 6.30 लाख टन प्याज की खरीद की गई है। अब तक, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने देश से प्याज का कोई व्यापार/निर्यात नहीं किया है।

*****